प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

2Days Course on "Newly Enacted Major Criminal Acts" (BNS, BNSS & BSA)- 03

दिनांक 19-05-2025 से 20-05-2025

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 19-05-2025 से 20-05-2025 तक **Refresher** Course on "Newly Enacted Major Criminal Acts" (BNS, BNSS & BSA) विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यू आरपीएस क्लाश रूम में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 55 प्रतिभागियो जिसमें 04 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 18 उप अधीक्षक व 33 पुलिस निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र में श्री दिनेश एमएन, एडीजीपी, सीआईडी(सीबी) एवं श्री एस.सेंगाथिर, एडीजीपी, निदेशक आरपीए द्वारा कोर्स का शुभारम्भ करवाया गया एवं कोर्स डायरेक्टर द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। उसके बाद कोर्स के प्रशिक्षणार्थियों का फोटो सेशन किया गया। प्रथम दिन के प्रथम सत्र में श्री अशोक चौहान, (सेवानिवृत्त) अतिरिक्त. एसपी सी.डी.टी.आई., जयपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023 परिचय, परिभाषाएँ, जोड़ी गई और निरस्त की गई धाराएँ BNSS और CrPC की मुख्य धाराओं पर व्याख्यान दिया गया जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता-2023 में व्यवहार में प्रयुक्त बीएनएसएस के प्राबधानोँ पर ध्यान दिया गया, सीआरपीसी के पिछले उपयोगों पर व्याख्यान दिया गया, जिसमें उन स्थानों पर भी ध्यान दिया गया जहां बीएनएसएस को पहली बार लागू किया गया है, जो अतीत में अस्तित्व में नहीं थे विषय पर अपने व्याख्यान दिया। द्वितीय सत्र श्री अशोक चौहान, (सेवानिवृत्त) अतिरिक्त. एसपी सी.डी.टी.आई., जयपुर ने भारतीय न्याय सहिंता - 2023, व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले बी.एन.एस. पर विशेष

ध्यान देते हुए, आई.पी.सी. के विगत प्रयोगों पर विचार करते हुए, जिसमें बी.एन.एस. का प्रथम बार प्रयोग किया गया है, जो विगत में अस्तित्व में नहीं थे विषय पर व्याख्यान दिया गया। (धारा - 48, 69, 95, 103(2), 111, 112, 113,152, 226, 304.)।

द्वितीय दिन के प्रथम सत्र श्री सुनील वशिष्ठ एडवोकेट आर.एच.सी. ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023, एक परिचय, परिभाषाएँ, जोड़ी गई और निरस्त की गई धाराएँ एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023, परिचय, परिभाषाएँ, जोड़ी गई और निरस्त की गई धाराएँ तथा व्यवहार में प्रयोग, बीएसए के पिछले उपयोगों पर नज़र, जिसमें वे प्रावधान भी शामिल हैं जहाँ बीएसए पहली बार लागू हुआ है, जो अतीत में अस्तित्व में नहीं थे विषय पर अपने व्याख्यान दिया। द्वितीय एवं तृतीय सत्र श्री. धीरज वर्मा, पुलिस इंस्पेक्टर, आरपीए, जयपुर ने भारतीय न्याय सहिंता - 2023, व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले बी.एन.एस. पर विशेष ध्यान देते हुए, आई.पी.सी. के विगत प्रयोगों पर विचार करते हुए, जिसमें बी.एन.एस. का प्रथम बार प्रयोग किया गया है, जो विगत में अस्तित्व में नहीं थे विषय पर व्याख्यान दिया गया। (धारा - 48, 69, 95, 103(2), 111, 112, 113,152, 226, 304.)

कोर्स के समापन में मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती सुनीता मीना, एडी (इनडोर) आरपीए जयपुर एवं कोर्स डायरेक्टर/ सहायक कोर्स डायरेक्टर उपस्थित रहे। समापन सत्र में प्रतिभागियों से फीडबैक प्राप्त किया गया। कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं मूल्यांकन परीक्षा ली गई। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र डिजीटल रूप में दिये गये। समापन सत्र के अन्त में कोर्स डायरेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

कोर्स निदेशक